

फर्द अहकाम

राक्षी नारायण बनाम कालिका

नाम न्यायालय 500 8/1 कुमुद

केस संख्या 32/22

50045

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/3/26	<p>सम पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य... है। पत्रावाली गत आदेशानुसार दि. 22/1/26 को पेश हो।</p> <p>(रीडर)</p>
	24/1/26	<p>सम पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य... है। पत्रावाली गत आदेशानुसार दि. 11/5/26 को पेश हो।</p> <p>(रीडर)</p>
	1/5/26	<p>सम पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य... है। पत्रावाली गत आदेशानुसार दि. 13/5/26 को पेश हो।</p> <p>(रीडर)</p>
	13/5/26	<p>पत्रावाली पेश हुई। पक्षों के बीच उभयपक्ष उपस्थित पक्षों के बीच उभयपक्ष द्वारा जो पक्ष अल्पांगी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। पक्षों के बीच उभयपक्ष के बहस चुनी गयी। बहस पर भवन किता गंगा पत्रावाली का अवलोकन किता गंगा। अवलोकन उपरान्त मूल कांड की खारजा का है। मूल कांड के निस्तार तक जो पक्ष अल्पांगी निषेधाज्ञा को खारजा किता जाना उचित समझते हैं।</p> <p>उल. उभयपक्षों के अडिवा दिनांक 1/5/22 के द्वारा जारी अल्पांगी निषेधाज्ञा को मूल कांड के निस्तार तक खारजा किता आकर दोनों पक्षों को पाबन्द किता जाय है। पत्रावाली पेश हुए और होकर नम्बर से कम होकर मूल कांड के अडिवा रहे।</p> <p>उपस्थंड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.</p>